उत्तराखंड शासन
विभाग जिला सूचना विभाग
संख्या - 221/सूचना एवं सूचना/2005
देहरादून : दिनांक 29 अगस्त 2005

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखंड शासन

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की तैयारी हेतु निर्मल किये गये शासनदेश संख्या
177/XXII/2005 दिनांक 29 जुलाई 2005 में उल्लेख किये गये कार्यों की समीक्षा हेतु शीघ्र ही एक
बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
इस बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्न 02 विषयों पर विशेष रूप से समीक्षा की जायेगी :
1. विभाग की सभी लोग प्राधिकारियों द्वारा सूचना अधिकारियों (PIO) सहायक लोक सूचना अधिकारी
   (APIO) तथा विभागीय अपील अधिकारियों (DAA) को नामित किये जाने की प्रगति।
2. विभाग की सभी लोक प्राधिकारियों में अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं के संबंध में
   मैन्युअल तैयार करने की प्रगति की समीक्षा।
उक्त दोनों विषयों के संबंध में कृपया संलग्न प्रारूप में आख्या दिनांक 31 अगस्त 2005 तक
निजीयों का कस्ट करें।

(डी.के. कोटिया)
सचिव

<table>
<thead>
<tr>
<th>विभाग का नाम</th>
<th>विभाग की सभी लोक प्राधिकारियों में (PIO), (APIO) एवं (DAA) को नामित किया जाना</th>
<th>विभाग की सभी लोक प्राधिकारियों में 16 मैन्युअल तैयार करने का कार्य पूर्ण (Overall स्थिति)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;25%</td>
<td>25%-30%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50%-75%</td>
<td>&gt;75%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

नोट : – कृपया संबंधित कॉलम को √ किया जाय।

हस्ताक्षर—
पदनाम —
कृपया नीचे दिए गए उपर्युक्त डाटा को पढ़ें:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>नाम</th>
<th>पदनाम</th>
<th>विभाग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्रीमती विभापुरी दास</td>
<td>प्रमुख सचिव एवं आयुक्त</td>
<td>वन एवं ग्राम्य विकास शाखा</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्री एन.एस. नपलच्याल</td>
<td>प्रमुख सचिव</td>
<td>कार्यक्रम विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्री राजीव गुप्ता</td>
<td>प्रमुख सचिव</td>
<td>संचारिक और प्रशासन एवं परिवहन</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>श्री पी.के. मोहनती</td>
<td>सचिव</td>
<td>ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>श्री बी.पी. पाण्डे</td>
<td>सचिव</td>
<td>पेयजल</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>श्रीमती राधा रतुड़ी</td>
<td>सचिव</td>
<td>समाज व धर्माण एवं विलायत</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>श्री नवीन चार शर्मा</td>
<td>सचिव</td>
<td>सहकारिता</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>श्री वी.सी. चंद्रोळा</td>
<td>सचिव</td>
<td>आर्कारी विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>श्री मदन सिंह</td>
<td>सचिव</td>
<td>सैनिक कल्याण</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>श्रीमती हेमलता ठोड़ीवाल</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>पुनर्गठन विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>श्री सुबर्धन</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>सामाजिक प्रशासन समाज कल्याण</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>श्री अमिताभ श्रीवास्तव</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>संस्कृति, खेल एवं आयुष्य</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>श्री अरविन्द सिंह नयाल</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>विज्ञान स्वास्थ्य</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>श्री राजीव चंद्र जोशी</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>लोक निर्माण विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>श्री आनंद बर्दवन</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>पर्यटन एवं उद्योग</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>श्री अरविन्द सिंह हयांकी</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>सिविलई</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>श्री आर.डी. पालीवाल</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>व्यावसायिक</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>श्री सुब्रत विश्वास</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>शहरी विकास</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>श्री किशन नाथ</td>
<td>अपर सचिव</td>
<td>संचारिक प्रशासन वन</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>श्री के.एन. पाण्डेय</td>
<td>प्रभारी</td>
<td>जी.एम.एम.सी.</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>श्री दयाचन्द्र</td>
<td>अधिकृत अभियंता</td>
<td>पी.डब्ल्यू.डी</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>श्री बी.पी. मेहतानी</td>
<td>समाजवाद</td>
<td>राज्य सत्तारीय टास्क फोर्स</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>श्री सत्ती बडोंडी</td>
<td>अनुसचिव</td>
<td>पर्यटन, सूचना, खेल, संस्कृति एवं सुविधा कल्याण</td>
</tr>
</tbody>
</table>

बैठक में प्रतिष्ठित निर्णय:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन की प्रगति के प्रमुख कार्यकर्मी का एक फोर्ड तैयार किया जाये जिसे समय और समय पर अपडेट किया जाये।
2. अनुभागों, अधिकारियों, सचिवों एवं माननीय मंत्रीगणों के मध्य कार्य आवंटन, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन के स्तर आदि को अधिनियम की मांग के अनुरूप तत्काल देख लिया जाये व उस पर सुनिश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर ली जाये।

3. मैनुअल तैयार किये जाने हेतु कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका का सहयोग लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव, सूचना विभाग से प्रत्येक कार्य दिनविक में प्रति 10.00 से 11.00 बजे के मध्य विभिन्न विभागों द्वारा अपने मैनुअल के संबंध में अद्यतन प्रस्ताव किया जा सकता है।

4. विभागों में मास्टर टेन्स का प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों द्वारा अपने विभागों में एवं अधीनस्थ सर्वजनिक उपकरणों/अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों/ कर्मचारियों का अन्वरत प्रशिक्षण दिया जाये। साथ ही सभी विभागों को वितरित इस अधिनियम की प्रतियों को भी व्यापक रूप से वितरित किया जाये।

5. सर्वजनिक उपकरणों, परिसरों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की प्रगति समीक्षा के लिये अलग से बैठक आयोजित की जाये एवं ऐसे संगठनों के माननीय अध्यक्षों एवं माननीय उपाध्यक्षगणों एवं अन्य ऐसे महानुभावों के उपयोगार्थ भी एक बैठक/कार्यशाला आयोजित जाये।

6. इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं विभागीय योजनाओं के प्रारंभ प्रसार की दृष्टि से अवस्थापना विकास शाखा वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त शाखा, समाज कल्याण आयुक्त शाखा, गृह, वित्त, स्वास्थ्य व विविध (मुख्य सचिव) शाखा में सूचना सेल/मीडिया सेंटर बनाये जाने की कार्यवाही की जाये।

7. सभी जिलों में अधिनियम की दृष्टि से जिला सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जा चुका है। जिला सूचना कार्यालयों का सुरक्षीकरण कर के प्रत्येक जिले में सूचना केन्द्र/मीडिया सेंटर विकसित किया जाये।

8. विभागों द्वारा किये जाने वाले स्पष्ट: प्रकटन (Voluntary Disclosure) में विभिन्न योजनाओं का विवरण सभी मैनुअल तथा अन्य सूचनाओं हेतु एन.आई.सी. से इस सम्बन्ध में वित्तपना कार्यक्रम अलग से समन्वय कर तैयार किया जाये।

9. मास्टर टेन्स के प्रशिक्षण से जो विभाग/अधिकारी छूट गये हैं, उनके लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण देहातादूर में शीघ्र आयोजित किया जाये।

10. सूचना के अधिकर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 16 बिन्दुओं पर जो मैनुअल तैयार किये जाने हैं। उनकी प्रगति की समीक्षा से यह विदित हुआ है कि अभी अनेक विभागों की समय सारणी के अनुसार दिनांक 30 सितंबर 2005 तक यह कार्य अवश्य पूर्ण हो जाय। इस उद्देश्य हेतु सभी प्रमुख सचिव स्वयं समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

बैठक संबन्धी समाप्त हुई।

(डी.के. नोटिया)
सचिव